


२/८/२५

पत्रावली माफ़ पेवा हुयी वादी एवं वकील  
वादी अनुपस्थित। बार-बार अपील  
लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया।

इससे यह पुष्ट होता है कि वादी  
एवं वकील वादी वाद पत्र को इंग्रस  
करने के कतरे बन्दुक नहीं है। लिखित  
वादी का वाद सक्षम पेशी सक्षम  
हाजरी में सारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसला कुमार टिकर दर्ज  
नम्बर से कम होने पर वाखिल  
दफ्तर है।

निर्णय माफ़ दिनांक २/८/२०२२ को  
दुर्गो न्यायालय एवं सर्वे इजलास  
(न्याया गया)।

  
उप खण्ड अधिकारी  
बस्ती (जिला जयपुर)